अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 2015

का.आ.1579(अ).— जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप धारा (1) के अंतर्गत जारी की गयी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 22 मार्च 2001 की अधिसूचना सं. का. आ. 258 (अ) द्वारा केन्द्र सरकार ने "मुनि सेवा आश्रम, गोराज-391760, तालुक वडोदरा, जिला वडोदरा, गुजरात द्वारा जिला वडोदरा, गुजरात में भवन निर्माण, साज-सज्जा, उपस्करों की खरीद, कैलाश कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केन्द्र की वाटरवकर्स" की परियोजना को निर्धारण वर्ष 2001-2002 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 7 पर अधिसूचित किया था; जिसे आगे दिनांक 29-9-2003 की अधिसूचना सं. का. आ. 1130 (अ) द्वारा निर्धारण वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था; जिसे आगे दिनांक 15-9-2007 की अधिसूचना सं. का. आ. 240 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2006-2007 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था और जिसे आगे दिनांक 18-5-2-2009 की अधिसूचना सं. का. आ. 1259 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-2010 से प्राराम्भ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 14 मई 2012 की अधिसूचना सं. का. आ.1084 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 से प्रारम्भ होने वाली तीन वर्षोंकी अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था।

और जबकि दिनांक 17-10-2013 की अधिसूचना सं. का. आ. 3157 (अ) द्वारा अनुमानित लागत को 21.18 रुपये से बढ़ाकर 71.81 करोड़ रुपये कर दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के पन्द्रह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है।

इसलिए, अब, केन्द्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा, "मुनि सेवा आश्रम, गोराज-391760, तालुक वडोदरा, जिला वडोदरा, गुजरात द्वारा चलाई जा रही जिला वडोदरा, गुजरात में भवन निर्माण, साज-सज्जा, उपस्करों की खरीद, कैलाश कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केन्द्र की वाटरवकर्स"की परियोजना को 71.18 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना, वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं.150 /2015/फा. सं.वी -27015/1/2015 एस ओ(रा. स.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)